न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 42/2024 बउनवानी केशवमणी शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0
पुत्र श्री किस्तूरचन्द शर्मा प्लॉट नम्बर 45, राजनगर पुलिस थाना मानटाउन स0मा0

GCMS No-2024/96

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
7.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 1.7.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" अपराध संख्या 166/2010 विरूद्व श्री केशवमणी पुत्र श्री किस्तूरचन्द शर्मा निवासी प्लॉट संख्या 45, राजनगर पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का खिजूरी तहसील जिला सवाईमाधोपुर विरूद्व अन्तर्गत धारा 7,13(1)(2) पीसी एक्ट 1988 की जारी की गयी अभियोजन स्वीकृति की सम्पूर्ण पत्रावली मय सम्पूर्ण आर्डरसीट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने बाबत***" निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः प.13(1)(60) सूकाअ/2024/858 दिनांक 22.8.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 1.7.2024 मे चाही गयी सूचना भू0अभिलेख अनुभाग से संबंधित है जिसके संबंध में प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2369 दिनांक 31.7.2024 से अवगत कराया जा चुका है कि वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली को जरिये पत्रांक एफ.डी.(18)(3)डी.ई./एल.आर./2010/2360 दिनांक 30.7.2024 से भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.7.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित पत्रावली प्रभारी अधिकारी भू0 अभिलेख अनुभाग द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली को भिजवायी दी जाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 17:58:10 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधो	

Scanned with OKEN Scanner